छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

इन्द्रावती खण्ड प्रथम तल, शास्त्री चौक, रायपुर, पिन–492001

दूरभाष कार्यालय–(0771–4024235 फैक्स–2442132) ई–मेल –sic.cg@nic.in

क्रमांक एफ 1–15 / स्था. / 2016 / 1478 रायपुर, दिनांक ...... / 07 / 2018

01 AUG 2018

:: विज्ञापन ::

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग कार्यालय रायपुर के डाटा एन्ट्री आपरेटर, सहायक ग्रेड–3, शीघ्रलेखक (हिन्दी) तथा स्टेनो टायपिस्ट के पदों पर सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर के वेबसाइट **cgvyapam.choice.gov.in** पर आमंत्रित किये जाते हैं।

उपरोक्त परीक्षा आयोजन हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार है –

1. परीक्षा की तिथि – **30 सितंबर 2018 (रविवार)**
2. परीक्षा का समय : –
   - **(i)** डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं सहायक ग्रेड–3 भर्ती परीक्षा–2018 — पूर्वान्ह 9:00 बजे से 12:15 बजे तक
   - **(ii)** शीघ्रलेखक एवं स्टेनो टायपिस्ट (हिन्दी) भर्ती परीक्षा–2018 — अपरान्ह 2:00 बजे से 5:15 बजे तक
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि – **07.08.2018 (मंगलवार)**
4. ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि – **04.09.2018 (मंगलवार), रात्रि 11:59 बजे तक**
5. परीक्षा केन्द्र : 05 संभागीय मुख्यालयों में – **अम्बिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर**
6. परीक्षा शुल्क :
   - सामान्य वर्ग – 350 /–
   - अन्य पिछड़ा वर्ग – 250 /–
   - अनु.जाति / अनु जनजाति / निःशक्तजन – 200 /–

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क.	पदनाम	वेतन+ग्रेड पे	कुल रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	अ.ज.जा.	अनु. जाति	अ.पि. वर्ग
1	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	लेवल–6 (25300 /–)	01	–	01	–	–
2	सहायक ग्रेड–3	लेवल–4 (19500 /–)	04	–	02	01	01
3	शीघ्रलेखक (हिन्दी)	लेवल–7 (28700 /–)	04	02	01	–	01
4	स्टेनोटायपिस्ट (हिन्दी)	लेवल–4 (19500 /–)	01	01	–	–	–

डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु श्रेणी एवं वर्गवार आरक्षण :–

क	वर्ग	पद संख्या				योग
		मुक्त	महिला	विकलांग	भू.पू.सै.	
1	अनारक्षित	–	–	–	–	–
2	अनुसूचित जाति	–	–	–	–	–
3	अनुसूचित जनजाति	01	–	–	–	01
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	–	–	–	–	–
	योग	**01**	–	–	–	**01**

सहायक ग्रेड–3 हेतु श्रेणी एवं वर्गवार आरक्षण :–

क	वर्ग	पद संख्या				योग
		मुक्त	महिला	विकलांग	भू.पू.सै.	
1	अनारक्षित	–	–	–	–	–
2	अनुसूचित जाति	01	–	–	–	01
3	अनुसूचित जनजाति	02	–	–	–	02
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	–	–	–	01
	योग	**04**	–	–	–	**04**

शीघ्रलेखक (हिन्दी) हेतु श्रेणी एवं वर्गवार आरक्षण :–

क	वर्ग	पद संख्या				योग
		मुक्त	महिला	विकलांग	भू.पू.सै.	
1	अनारक्षित	02	–	–	–	02
2	अनुसूचित जाति	–	–	–	–	–
3	अनुसूचित जनजाति	01	–	–	–	01
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	–	–	–	01
	योग	**04**	–	–	–	**01**

स्टेनोटायपिस्ट (हिन्दी) हेतु श्रेणी एवं वर्गवार आरक्षण :–

क	वर्ग	पद संख्या				योग
		मुक्त	महिला	विकलांग	भू.पू.सै.	
1	अनारक्षित	01	–	–	–	01
2	अनुसूचित जाति	–	–	–	–	–
3	अनुसूचित जनजाति	–	–	–	–	–
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	–	–	–	–	–
	योग	**01**	–	–	–	**01**

पदवार शैक्षणिक अर्हताएं :–

स. क्र.	पद का नाम	आयु		विहित शैक्षणिक अर्हताएं
		न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	
1	2	3	4	5
1	डाटा एन्ट्री आपरेटर	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी के लिये 35 वर्ष)	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, **अथवा** पुरानी हायर सेकेन्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण। **अथवा** कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा (2) डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की गति 8,000 की (key) डिप्रेशन प्रतिघंटा। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी)
2	सहायक ग्रेड–III	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी के लिये 35 वर्ष)	((1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, **अथवा** पुरानी हायर सेकेन्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र तथा, (3) कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी)
3	शीघ्रलेखक (हिन्दी)	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी के लिये 35 वर्ष)	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण **अथवा** पुरानी हायर सेकेन्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परिषद से – (क) **शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए –** हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली

				जाएगी) (3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र तथा डाटा एण्ट्री की गति 10,000 की (key) डिप्रेशन प्रतिघंटा। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी)
4	स्टेनो टायपिस्ट	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी के लिये 35 वर्ष)	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, **अथवा** पुरानी हायर सेकेन्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण। (2) हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) (3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंट। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

आयु सीमा :– न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष।

यह नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के रिट पिटिशन क्रं. (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में माननीय न्यायालय पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होंगे।

नियम एवं शर्तें :–

1. उक्त तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, सेवा (भरती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2009 एवं संशोधन दिनांक 19 जुलाई, 2018 के अंतर्गत की जायेंगी।
2. दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में आवेदित पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिए एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रं.–एफ 3–2/2015/1–3, दिनांक–23.01.2017 अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा कैलेण्डर वर्ष 2018 के लिए 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., महिला, विधवा, परित्यक्ता आदि को आयु सीमा में अतिरिक्त छूट नियमानुसार प्राप्त होगी।
3. आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है।
4. चयनित उम्मीदवारों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जावेगा।
5. आवश्यकतानुसार विज्ञापित पदों की संख्या कम अथवा अधिक की जा सकती है।
6. महिलाओं को नियमानुसार हारिजान्टल आरक्षण दिया जावेगा। किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है तो ऐसे पद अग्रणीत नहीं किये जायेंगे। वरन उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिये आरक्षित है।
7. भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांगों को नियमानुसार आरक्षण प्रदान होगा।
8. उपरोक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9. आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।

10. आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरते। बाद में अभ्यर्थी के द्वारा जन्म तिथि, श्रेणी, वर्ग इत्यादि में परिवर्तन सम्बंधी आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

11. आवेदक को पद के लिये निर्धारित की गई शैक्षणिक योग्यता एवं शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है। आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर परीक्षा/चयन के किसी भी स्तर पर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी।

12. संबंधित पद के लिये वांछित शैक्षणिक आर्हता संबंधी मूल प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ के निवासी होने का प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाण पत्र चयन के समय विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. **व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रकिया विभाग द्वारा की जायेगी।**

चयन प्रकिया :–

विज्ञापित पदों हेतु आवेदित उम्मीदवारों की व्यापमं द्वारा **200** अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें आब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जायेंगे । निगेटिव मार्किंग के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा। परीक्षा उपरांत लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार एवं वर्गवार डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं सहायक ग्रेड–3 पद हेतु पॉच गुना तथा शीघ्रलेखक एवं स्टेनोटायपिस्ट पद हेतु दस गुना अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जावेगा।

कम्प्यूटर दक्षता में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में विभाग के दिए गए प्राथमिकता क्रम के आधार पर व्यापम द्वारा विभाग आबंटित किया जावेगा। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच पश्चात् चयन/नियुक्ति की कार्यवाही विभाग द्वारा की जावेगी।

परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि, परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश व्यापमं की वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर देखा जा सकता है।

सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
रायपुर